न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 612/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हड़मानराम पुत्र जयराम विश्नोई निवासी केरला नाडा, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2. सुभाष चन्द्र पुत्र खमुराम विश्नोई निवासी केरला नाडा, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 159 दिनांक 20.3.23

उपस्थिति –
1. श्री सुगनमल परिहार वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.03.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा तहसीलदार लोहावट के पत्र कमांक 96 दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम केरलानाडा के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के खसरा नम्बर 434 व 568/444 में से कोई रास्ता नही चलता था, मौके के विपरित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में धारा 131 व 136 आरएलआर के प्रावधानों व राज्य सरकार के परिपत्र का बिलकुल गलत अर्थ निकाला गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

131 में खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का कोई प्रावधान नही है। रास्ते का प्रावधान धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम में है। ख0नं0 434 में से दो रास्ते निकलाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण की सहमती नही ली गई है और न ही अपीलार्थी को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश बाबत उल्लेखित ख0नं0 434 व 568/444 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही खातेदारान के आवेदन व उनकी सहमति के आधार पर तहसीलदार लोहावट से प्रस्ताव प्राप्त कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 को अपीलांट के ख0नं0 434 व 568/444 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर